# WESTERN U.P. CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

# MASIK PATRIKA

# MARCH 2022

**Address-** WESTERN U.P. CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

BOMBAY BAZAR, NEAR HANUMAN CHOWK, MEERUT CANTT- 250001 (U.P.) INDIA

**Phone No.** 0121- 2661238, 2661177; **Fax:** 0121-2661685

**E-mail:**wupcc@rediffmail.com **Website:**www.wupcc.org

- **Patron**
  Dr. Mahendra Kumar Modi
- **President**
  Dr. Ram Kumar Gupta
- **Sr. Vice President**
  Shri Shashank Jain
- **Jr. Vice President**
  Shri Lokesh Kumar Singhal, Hapur
  Shri Neel Kamal Puri, Muzaffarnagar
- **Secretary / Editor**
  Smt Sarita Agarwal

## Patrika Committee

- **Chairman**
  Shri Rahul Das
- **Co-Chairman**
  Shri Sushil Jain
- **Members**
  Shri Manoj Kumar Gupta (Hapur)
  Shri Rakesh Kohli
  Shri Trilok Anand
  Shri Rajendra Singh
  Shri G.C. Sharma
  Shri Atul Bhushan Gupta
- **Co-Editor**
  Mr. Manish Kumar

# INDEX


- Basic Wage & V.D.A. w.e.f. 01-04-2022 to 30-09-2022 in General Industries
- Blockchain Technology से रुकेगी फेक बिलिंग, जीएसटी चोरी
- ई-इनवॉयस के नए नियम के दायरे में 1.80 लाख कंपनियां और आएंगी, छोटे और मध्यम कारोबारों में कम होगी टैक्स चोरी
- इनपुट टैक्स क्रेडिट में धांधली अब आसान नहीं, बजट में इनपुट टैक्स क्रेडिट को सख्त बनाने का प्रस्ताव, इस अप्रैल से होगा लागू
- छह तरीकों से कर सकते हैं आयकर रिटर्न का सत्यापन
- आईटीआर अपडेट पर देना होगा 111 फीसदी टैक्स
- ऑनलाइन जांचें आयकर रिफंड की स्थिति
- 10 लाख से ऊपर के चेक का निपटान ग्राहक की दोबारा पुष्टि के बाद
- केनरा बैंक ने बढ़ाई ब्याज दरें
- घर में सोलर प्लांट इंस्टाल कराने की प्रक्रिया होगी आसान, अब बैंक खाते में सीधे मिलेगी सब्सिडी, जल्द ही नेशनल पोर्टल होगा तैयार
- एनसीएस से जुड़ेंगे उद्यम व ई श्रम पोर्टल
- भारत-यूएई में हुआ व्यापार समझौता
- हाइड्रोजन नीति से कार्बन मुक्त ईंधन का निर्यात केंद्र बनेगा भारत, देशभर में अक्षय ऊर्जा की ढुलाई मुफ्त होगी
- पासपोर्ट पर होगी इलेक्ट्रानिक चिप, ब्लाकचेन और भी बहुत कुछ, आइआइटी ने स्कोस्टा तकनीक पर किया है तैयार

# Basic Wage & V.D.A. w.e.f. 01-04-2022 to 30-09-2022 in General Industries

As per new Notification dated 28-01-2014 issued by the UP State Government under Minimum Wages Act fixing minimum rate of wages and VDA for scheduled employment including your industry. As per the said notification the VDA shall change in every April & October of the year on the basis of All India Consumer Price Index for Industrial Workers (Base 2001=100) from July to December of the previous year and January to June of the current year respectively. Thus VDA becomes payable on the Price Index which increase beyond 216 points shall be neutralized cent percent. The Government has stopped releasing PI for 2001=100 but now has been releasing PI for 2016=100 which if multiplied by 2.88 we get PI 2001=100.

The All India Consumer Price Index for Industrial Workers Base 2001=100 is issued by the Government from time to time. All India Consumer Price Index for Industrial Workers Base 2001=100 for the Period JULY, 2021 to DECEMBER, 2021 being 353.66, 354.24, 355.10, 359.71, 362.02 and 361.15 the Average comes to 357.65 points.

The price index increase 357.65-216.00=141.65 points.

The calculation method is (357.65-216)/216*Basic Wages or 141.65/216 x Basic Wage.

Therefore, the Wages & VDA amount w.e.f. 01-04-2022 to 30-09-2022 shall be as under:-

| CATAGORY | MINIMUM BASIC WAGES WEF 28-01-2014 | TOTAL VDA FROM 01-04-2022 | TOTAL WAGES FROM 01-04-2022 TO 30-09-2022 | PREVIOUS TOTAL WAGES FROM 01-10-2021 TO 31-03-2022 | NETT INCREASE FROM 01-04-2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| **UNSKILLED** | 5750 | 3770.78 | 9520.78 | 9189.65 | 331.13 |
| **SEMI-SKILLED** | 6325 | 4147.85 | 10472.85 | 10108.62 | 364.23 |
| **SKILLED** | 7085 | 4646.25 | 11731.25 | 11323.25 | 408.00 |

# Blockchain Technology से रुकेगी फेक बिलिंग, जीएसटी चोरी

ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी का इस्तेमाल डाटा को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। सभी ब्लॉक्स एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं इसलिए इसकी हैकिंग करना भी मुश्किल है। अब तक आपने क्रिप्टो के बारे में सुना होगा कि यह ब्लॉकचेन पर बनता है। हालांकि अब भारतीय सरकार ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी का इस्तेमाल फेक बिलिंग और GST क्लेम पर रोक लगाने के लिए भी करेगी।

पहले चरण में इसे वेयरहाउसिंग (Warehousing) और गुड्स मूवमेंट की मॉनिटरिंग के लिए किया जाएगा। जीएसटी में क्रेडिट फ्लो की टेक्नोलॉजी से मॉनिटरिंग होगी। एक ही आधार से रजिस्टर्ड अलग अलग बिजनेस में क्रेडिट मूवमेंट होगा। इसकी वजह से कागज़ों पर गुड्स सप्लाई दिखा कर फेक क्लेम लेने वालों को तत्काल पकड़ा जा सकेगा। जीएसटी के डिजिटलाईजेशन की प्रक्रिया में कई और नई तकनीक पर काम चल रहा है।

अगर कोई भी फेक बिलिंग या GST क्लेम करता है तो सरकार ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी (Blockchain Technology) के ज़रिए जीएसटी चोरों को आसानी से पकड़ सकेगी। दरअसल फेक बिलिंग और फेक क्लेम की ब्लॉकचेन सिस्टम से तुरंत रेड फ्लैगिंग हो जाएगी। ब्लॉकचेन सिस्टम के तहत गुड्स का मूवमेंट और डॉक्यूमेंटेशन होगा। इससे कारोबारी के साथ-साथ विभाग को भी सही जानकारी मिल सकेगी। उपभोक्ता को किसी भी तरह की वर्किंग कैपिटल की दिक्कत नहीं झेलनी पड़ेगी। ITC Ledger से एक राज्य से दूसरे राज्य में क्रेडिट फ्लो की व्यवस्था रहेगी।

## क्या होता है ब्लॉकचेन?

ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है जहां ना सिर्फ डिजिटल करेंसी बल्की किसी भी चीज को डिजिटल बनाकर उसका रिकॉर्ड रखा जा सकता है। यानी ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर हैं। कई क्रिप्टोकरेंसी नेटवर्क भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए ही संचालित होती हैं।


**SHUBHAM ORGANICS LIMITED**

**Corporate Office & Works :**

**303-A, INDUSTRIAL AREA, PARTAPUR MEERUT – 250103 (U.P.) INDIA**

**Tel. fax.: 0121-2440711 Email- shubhamorganics95@gmail.com**

# ई-इनवॉयस के नए नियम के दायरे में 1.80 लाख कंपनियां और आएंगी, छोटे और मध्यम कारोबारों में कम होगी टैक्स चोरी

20 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर के कारोबार से कारोबार (बीटूबी) लेनदेन करने वाली कंपनियों के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनिक इनवॉयसिंग (ई-इनवॉयस) का नियम लागू होने जा रहा है। इस नियम के लागू होने से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पंजीकरण में 75 फीसदी की बढ़ोतरी होगी।

एक अप्रैल से यह नियम लागू होने के बाद 1.80 लाख जीएसटी आईडेंटिफिकेशन नंबर (जीएसटीआईएन) यानी कंपनियां जुड़ेंगी। अभी यह संख्या 2.40 लाख है। नई कंपनियों के जुड़ने के बाद जीएसटीआईएन की संख्या बढ़कर 4.20 लाख हो जाएगी। हालांकि, एक कंपनी के पास एक से अधिक जीएसटीआईएन हो सकते हैं।

जीएसटी कानून के तहत सबसे पहले ई-इनवॉयसिंग के दायरें में 500 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाली कंपनियों को लाया गया था। एक जनवरी 2021 से 100 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनियों को भी इसमें शामिल किया गया। इसके बाद एक अप्रैल 2021 से 50 करोड़ के टर्नओवर वाली कंपनियां भी ई-इनवॉयसिंग के दायरे में लाई गईं।

## अनुपालन में मदद मिलेगी:

ई-इनवॉयसिंग प्रणाली में छोटी और मध्यम कंपनियों को शामिल करने से ना केवल जीएसटी का दायरे बढ़ेगा, बल्कि कर चोरी रोकने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि 50 करोड़ के टर्नओवर के दायरे में अभी 2.40 लाख योग्य जीएसटीआईएन हैं। 20 करोड़ का दायरा लागू होने के बाद जीएसटीआईएन में 75 से 80 फीसदी बढ़ोतरी की उम्मीद है। ई-इनवॉयसिंग से अनुपालन में सुधार लाने में मदद होगी, जो मजबूत कर संग्रह में दिखाई देगा।

## ई-इनवॉयसिंग के लाभ:

- उत्पादक की ओर से तैयार इनवॉयस पर रियल टाइम नजर रखी जा सकेगी।
- ई-इनवॉयस के इस्तेमाल से धोखाधड़ी की संभावना कम रहती है।
- छोटे और मध्यम कारोबारों में कर चोरी की संभावना घट जाती है।
- ई-इनवॉयसिंग से मैनुअल रिपोर्टिंग प्रक्रिया में कमी आएगी।
- हेरफेर की गुंजाइश घटेगी और वास्तविक इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावे बढ़ेंगे।

# इनपुट टैक्स क्रेडिट में धांधली अब आसान नहीं, बजट में इनपुट टैक्स क्रेडिट को सख्त बनाने का प्रस्ताव, इस अप्रैल से होगा लागू

जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में कोताही बरतने या जीएसटी के मामले में कोई भी फर्जीवाड़ा करने वालों के लिए कारोबार करना अब आसान नहीं रह जाएगा। इस प्रकार के कारोबारियों से दूसरे कारोबारी माल नहीं खरीदेंगे क्योंकि डिफाल्टर कारोबारी से माल खरीदने वाले कारोबारी को इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) नहीं मिलेगी। इस साल एक फरवरी को पेश बजट में आईटीसी नियम को सख्त बनाने के लिए कई प्रस्ताव रखे गए हैं। आगामी अप्रैल से इन प्रस्तावों को लागू कर दिया जाएगा।बजट प्रस्ताव के मुताबिक अगर किसी कारोबारी ने हाल-फिलहाल में जीएसटी नेटवर्क पर पंजीयन कराया है तो उससे माल खरीदने पर आइटीसी मिलने में दिक्कत आ सकती है।

जीएसटी कानून विशेषज्ञों के मुताबिक प्रस्तावित नियम को लागू करने के दौरान यह बताया जाएगा कि नए पंजीकृत कारोबारी से माल खरीदने के कितने दिनों के बाद आइटीसी दिया जाएगा और यह भी बताया कि कई बार ऐसा होता है कि कारोबारी जीएसटी में पंजीकृत होता है और छह महीने या सालभर में अपना पंजीयन वापस कर देता है या बाजार से कुछ हेराफेरी करके गायब हो जाता है। इसलिए नए पंजीकृत कारोबारियों की विश्वसनीयता को पहले परखा जाएगा।आइटीसी को लेकर नए प्रस्ताव के मुताबिक अगर कोई कारोबारी रिटर्न भरने में डिफॉल्टर घोषित हो जाता है या त्रैमासिक और मासिक रिटर्न भरने में लगातार देरी करता है तो उससे माल खरीदने वाले कारोबारी को भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगी। जीएसटीआर-3बी में टैक्स की राशि जीएसटीआर-1 की राशि के समान नहीं होने पर भी आइटीसी रोकी जा सकती है।

जीएसटी विशेषज्ञों ने बताया कि प्रस्ताव के मुताबिक भविष्य में एक सीमा से अधिक कारोबारियों को आईटीसी नहीं दिया जाएगा। नियम को लागू करते समय इस सीमा का खुलासा किया जाएगा। प्रस्तावित नियम के लागू होने के बाद कारोबारी काफी जांच-परख के बाद अपने सप्लायर का चयन करेंगे। इसकी वजह यह है कि सप्लायर के कारोबार में किसी भी प्रकार की कमी का खामियाजा उसके कारोबारी ग्राहकों को उठाना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि इस काम में सहूलियत के लिए केरल में कारोबारियों की जीएसटी रेटिंग शुरू हो गई है। इससे यह पता चल जाता है कि कारोबारियों का जीएसटी स्कोर क्या है और एक सीमा से कम स्कोर वालों से माल खरीदने से पहले लोग कई बार सोचेंगे।

सरकार के प्रस्तावित नियम से ईमानदारी से टैक्स देने वाले कारोबारियों को काफी फायदा होने जा रहा है।नए प्रस्ताव के मुताबिक किसी कारोबारी ने एक पैन नंबर से ही कई राज्यों में जीएसटी नंबर लिया हुआ है तो वह एक राज्य के खाते से दूसरे राज्य में राशि ट्रांसफर कर सकेगा। पहले यह सहूलियत नहीं थी। इससे कारोबारियों का काम आसान होगा।

# छह तरीकों से कर सकते हैं आयकर रिटर्न का सत्यापन

आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने के लिए इसका सत्यापन (वैरिफिकेशन) किया जाना जरूरी है। आयकर कानूनों के अनुसार, यदि आईटीआर को दाखिल करने की तारीख से 120 दिनों के भीतर सत्यापित नहीं किया जाता है तो इसे वैध नहीं माना जाएगा।

कोई भी करदाता आईटीआर को छह तरीकों से सत्यापित कर सकता है। इसमें पांच तरीके इलेक्ट्रॉनिक हैं। जब आईटीआर के ऑडिट की आवश्यकता नहीं होती है तब इन छह तरीकों से सत्यापन किया जा सकता है। आमतौर पर आईटीआर-1, आईटीआर-2 और आईटीआर-4 के ऑडिट की आवश्यकता नहीं होती है। आईए जानते हैं कि किन-किन तरीकों से आईटीआर को सत्यापित किया जा सकता है।

## 1- आधार आधारित ओटीपी:

आधार आधारित वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) का उपयोग करके आईटीआर को सत्यापित किया जा सकता है। इसके लिए मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा होना चाहिए। साथ ही आधार और पैन कार्ड भी एक-दूसरे से जुड़े होने चाहिए। आईटीआर सत्यापन के लिए आयकर विभाग की वेबसाइट के 'ई-वेरिफाईपेज पर जाकर 'मैं आधार के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी का उपयोग करके सत्यापित करना चाहता हूं का चयन करें और 'कंटीन्यू पर क्लिक करें। स्क्रीन पर एक पॉपअप खुलेगा। 'आई एग्री वेलिडेट माय आधार डिटेल्स पर टिक करके 'जेनरेट आधार ओटीपी पर क्लिक करें। छह नंबर का ओटीपी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आएगा। ओटीपी को बॉक्स में दर्ज करके सबमिट कर दें। सफल होने पर आपका आईटीआर वेरिफाई हो जाएगा। ओटीपी सिर्फ 15 मिनट के लिए ही वैध रहेगा।

## 2- नेट-बैंकिंग:

'ई-वेरिफाई पेज पर 'थ्रू नेट बैंकिंग का चयन करें और 'कंटिन्यू पर क्लिक करें। अब उस बैंक का चयन करें जिसके जरिए आप आईटीआर वेरिफाई कराना चाहते हैं और 'कंटिन्यू पर क्लिक करें। स्क्रीन पर डिसक्लेमर के साथ एक पॉपअप आएगा। इसे पढ़कर 'कंटीन्यू पर क्लिक करें। इसके बाद अपने बैंक अकाउंट की नेट बैंकिंग को लॉगइन करना होगा। 'ई-वेरिफाई विकल्प का चयन करें। ऐसा करके आप आयकर विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर चले जाएंगे। अब आईटीआर फॉर्म पर जाएं और ई-वेरिफाई पर क्लिक करें। ऐसा करते ही आपका आईटीआर सफलतापूर्व वेरिफाई हो जाएगा।

### 3- बैंक खाते से:

इसमें बैंक खाते से इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड (ईवीसी) जेनरेट करके आईटीआर वेरिफाई करना होगा। 'ई-वेरिफाई पेज पर जाकर 'थ्रू बैंक अकाउंट विकल्प चुनकर 'कंटिन्यू पर क्लिक करें। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर ईवीसी जारी होगा। इसे दर्ज करके 'ई-वेरिफीई पर क्लिक करें।

### 4- डीमैट खाता:

इसकी प्रक्रिया बैंक खाते से आईटीआर वेरिफाई करने के समान है। 'ई-वेरिफाई पेज पर जाकर 'थ्रू डीमैट अकाउंट विकल्प चुनकर 'कंटिन्यू पर क्लिक करें। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पर इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड (ईवीसी) जारी होगा। इसे दर्ज करके 'ई-वेरिफीई पर क्लिक करें।

### 5- बैंक एटीएम:

बैंक के एटीएम कार्ड के जरिए भी ईवीसी जारी किया जा सकता है। हालांकि, कुछ सीमित बैंक में ही यह सुविधा उपलब्ध है। अपने बैंक के एटीएम पर जाएं और एटीएम कार्ड स्वाइप करें। एटीएम पिन दर्ज करें और जनरेट ईवीसी फॉर इनकम टैक्स फाइलिंग का चयन करें। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ईवीसी भेजा जाएगा। इस बात का ख्याल रखें कि पैन नंबर बैंक के साथ रजिस्टर्ड हो। 'ई-वेरिफाई रिटर्न ऑप्शन पर जाएं। आईटीआर सलेक्ट करें। इसके बाद 'आई ऑलरेडी हैव एन ईवीसी का चयन करें। ईवीसी कोड को दर्ज करके 'ई-वेरिफाई पर क्लिक करें।

### 6- हस्ताक्षर किया हुआ आईटीआर-वी भेजें:

अगर आप किसी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आईटीआर सत्यापित नहीं करा पा रहे हैं तो आप आयकर विभाग को अपने आईटीआर-वी (एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट) की हस्ताक्षर की गई कॉपी भेज सकते हैं। इसे स्पीड पोस्ट या सामान्य पोस्ट से भेजें। कुरियर मान्य नहीं होगा। आईटीआर प्राप्त होने के बाद विभाग आपको मैसेज और ईमेल के जरिए सूचित कर देगा।

## आईटीआर अपडेट पर देना होगा 111 फीसदी टैक्स

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में आयकर रिटर्न (आईटीआर) में दो वर्ष के अंदर स्वैच्छिक रूप से अद्यतन (अपडेट) करने का प्रस्ताव पेश किया था। लेकिन यह प्रस्ताव अमीरों पर भारी पड़ सकता है। ऐसे लोगों को आईटीआर अपडेट कराने पर 111 फीसदी तक का रिटर्न देना पड़ सकता है।

बजट प्रस्ताव में कहा गया था कि कोई भी करदाता मूल्यांकन वर्ष खत्म होने के बाद दो वर्ष के भीतर आईटीआर को अपडेट कर सकता है। ऐसे अपडेट के बाद करदाता को अतिरिक्त आय पर 25 से 50 फीसदी तक जुर्माना देना पड़ेगा। टैक्स की गणना के अनुसार, यदि जुर्माने और कर की दर को जोड़ लिया जाए तो यह देनदारी अतिरिक्त आय का 50 से 111 फीसदी तक हो सकती है। एक वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि बजट में जुर्माने का प्रस्ताव पेश किया गया है लेकिन फाइनेंस एक्ट के संसद से पास ना होने के कारण यह अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। हम उद्योग से मिली प्रतिक्रियाओं का परीक्षण कर रहे हैं और आवश्यकता होने पर बदलाव भी करेंगे।

## ज्यादा अमीरों पर 90 फीसदी टैक्स और सरचार्ज:

टैक्स गणना के अनुसार, 111 फीसदी का प्रभावी टैक्स ज्यादा अमीरों (सुपर रिच) पर पड़ेगा, यदि वे आईटीआर दाखिल करने के बाद दूसरे वर्ष में अपडेट करते हैं। यदि सुपर रिच व्यक्ति अतिरिक्त आय को आईटीआर में दूसरे वर्ष अपडेट करते हैं तो उन पर टैक्स की प्रभावी दर 90 फीसदी होगी। यदि यह आय पांच करोड़ रुपए से अधिक होगी तो 37 फीसदी का सरचार्ज भी देना होगा। पहले वर्ष में अपडेट करने के बाद आईटीआर दाखिल करने पर प्रभावी टैक्स दर 69 फीसदी होगी। यदि अपडेट के बाद रिटर्न दाखिल नहीं किया जाता है तो प्रभावी टैक्स दर 80 फीसदी होगी।

## 50 लाख से कम की आय पर सरचार्ज नहीं:

यदि करदाता की आय 50 लाख रुपए से कम है तो उस पर कोई सरचार्ज नहीं लगेगा। ऐसी स्थिति में दूसरे वर्ष में अपडेट के बाद आईटीआर दाखिल करने पर अतिरिक्त आय पर 81 फीसदी की दर से टैक्स लगेगा। पहले वर्ष में अपडेट के बाद आईटीआर दाखिल करने पर 66 फीसदी टैक्स लगेगा। सीबीडीटी के एक अधिकारी का कहना है कि आईटीआर अपडेट की यह सुविधा ज्यादा राजस्व जुटाने के लिए नहीं दी गई है। दो वर्ष में अपडेट की यह सुविधा छोटे करदाताओं को रिटर्न में सुधार करने के मकसद से दी गई है।

SARU METALS

**SARU SMELTING PRIVATE LIMITED**
**SARU NAGAR, SARDHANA ROAD, MEERUT- 250001 (INDIA)**
**Tel.: 0121-2556051, 2555449, Fax: 0121-2555969**
**Email: info@sarumetals.com**
**Website: www.sarumetals.com**

# ऑनलाइन जांचें आयकर रिफंड की स्थिति

जब किसी व्यक्ति की आय से तय सीमा से ज्यादा कर की कटौती हो जाती है तो वह रिफंड पाने के योग्य हो जाता है। इसके लिए आयकर विभाग के पास आयकर रिटर्न दाखिल करना होता है।

आयकर रिटर्न दाखिल करते समय करदाता को अपनी आय और डिडक्शन का प्रमाण पत्र देना होता है। रिफंड पाने के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करना जरूरी होता है। रिटर्न दाखिल होने के बाद आयकर विभाग उसे वैरिफाई करता है। आयकर विभाग रिटर्न वैरिफाई होने के बाद ही रिफंड की प्रक्रिया शुरू करता है। सामान्यता रिटर्न वैरिफाई होने के बाद रिफंड में 25 से 60 दिन का समय लगता है। जब कोई करदाता रिटर्न में रिफंड का दावा करता है तो उसे सेक्शन 143(1) के तहत सूचना भेजी जाती है। इसमें रिफंड की जाने वाली राशि की जानकारी भी होती है। इसके अलावा करदाता ऑनलाइन भी रिफंड की स्थिति जांच सकते हैं।

## ये है रिफंड जांचने की प्रक्रिया:-

### ई-फाइलिंग पोर्टल:

- सबसे पहले आयकर विभाग के नए ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं।
- यहां यूजर आईडी, पासवर्ड और कैप्चा कोड लिखने के बाद लॉगिन पर क्लिक करें।
- इसके बाद व्यू रिटर्न/फॉर्म्स पर क्लिक करें।
- यहां एक विकल्प चुनें दिखेगा। यहां पर इनकम टैक्स रिटर्न्स चुनें और मूल्यांकन वर्ष डालें। इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें। आपको अपने रिफंड की स्थिति पता चल जाएगी।

### एनएसडीएल पोर्टल:

- रिफंड की स्थिति जानने के लिए एनएसडीएल की वेबसाइट पर जाएं।
- यहां पर पैन, मूल्यांकन वर्ष जैसी जानकारी भरें और सबमिट बटन पर क्लिक करें।
- इसके बाद वेबसाइट पर रिफंड की स्थिति पता चल जाएगी।

**PARVATI INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED**

**B-19, INDUSTRIAL ESTATE, PARTAPUR, MEERUT – 250103 (U.P.) INDIA**

**Tel. Fax.: 0121-2440711 Mobile: 9837072188**

**Email: shubham@ndf.vsnl.net.in**

# 10 लाख से ऊपर के चेक का निपटान ग्राहक की दोबारा पुष्टि के बाद

सार्वजनिक क्षेत्र का पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) चार अप्रैल से 10 लाख रुपये या उससे अधिक मूल्य के चेक का निपटान उसे जारी करने वाले से दोबारा पुष्टि करने के बाद ही करेगा।

बड़ी राशि के चेक के मामले में धोखाधड़ी की आशंका से बैंक ग्राहकों को बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है। इसके तहत सकारात्मक भुगतान प्रणाली (पीपीएस) चार अप्रैल, 2022 से अनिवार्य होगी। बैंक ने रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश के अनुरुप 50,000 रुपये और उससे ऊपर के सीटीएस (चेक ट्रंकेशन सिस्टम) समाशोधन की व्यवस्था एक जनवरी, 2021 से लागू की थी। सीटीएस इलेक्ट्रॉनिक रूप से चेक के समाशोधन की व्यवस्था है। हालांकि, आरबीआई ने कहा है कि सुविधा का लाभ उठाना खाताधारक पर निर्भर है, लेकिन बैंक पांच लाख रुपये और उससे अधिक के चेक के समाशोधन के लिए इसे अनिवार्य बनाने पर विचार कर सकते हैं। पीएनबी ने कहा कि अप्रैल से 10 लाख रुपये और उससे अधिक के चेक के समाशोधन के लिये सकारात्मक भुगतान प्रणाली अनिवार्य कर दी जाएगी।

## क्या है सकारात्मक भुगतान प्रणाली:

सकारात्मक भुगतान प्रणाली को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) ने तैयार किया है। इस व्यवस्था के तहत उच्च मूल्य के चेक जारी करने वाले ग्राहकों को कुछ जरूरी जानकारी की दोबारा से पुष्टि करनी होती है। उस ब्योरे का भुगतान के लिए चेक के निपटान से पहले मिलान किया जाता है। ग्राहकों को पीपीएस के तहत उच्च मूल्य के चेक के निपटान को लेकर खाता संख्या, चेक नंबर, चेक अल्फा कोड, जारी करने की तारीख, राशि, लाभार्थी का नाम जैसे विवरण साझा करने होंगे। बैंक के अनुसार, जो चेक पीपीएस के तहत पंजीकृत होंगे, उन्हें ही विवाद समाधान व्यवस्था के तहत स्वीकार किया जाएगा।


# INDRA BRICK WORKS

## Manufacture of:

**MOHAN BRAND Quality Bricks and Tiles**

**Office: 6-B, Shambhu Nagar, Baghpat Road, Meerut City-250002**

**Mobile No.: 9737126444, 9837081518**

**Email: rajendra_2068@yahoo.com**

**Works: Malyana Before Bypass, Baghpat Road, Opp. DPS, Meerut City**

# केनरा बैंक ने बढ़ाई ब्याज दरें

केनरा बैंक ने अलग- अलग अवधि वाली डिपॉजिट पर ब्याज दरें चौथाई प्रतिशत तक बढ़ा दी है। एक साल की अवधि के लिए जमा की ब्याज दर को बढ़ाकर 5.1 प्रतिशत कर दिया गया है जबकि एक-दो साल के लिए सावधि जमा पर इसे 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 5.15 प्रतिशत कर दिया गया है। 2-3 साल की सावधि जमा पर ब्याज दर 5.20 प्रतिशत और 3-5 साल के लिए जमा पर ब्याज दर 5.45 प्रतिशत कर दी गई है जो पहले 5.25 प्रतिशत थी। बैंक के बयान के मुताबिक 5-10 साल की सावधि जमा पर अधिकतम 0.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर ब्याज दर को 5.5 प्रतिशत कर दिया गया है।

इसके अलावा, वरिष्ठ नागरिकों को सभी अवधि की मियादी जमाओं पर 0.50 प्रतिशत यानी आधा प्रतिशत अधिक ब्याज मिलेगा।


# SANGAL PAPERS LIMITED

## Manufactures of:

ENVELOPE PAPERS, RIBBED PAPERS, PACKAGING & MANINATION PAPERS, SCRAP BOOK, CRAFT PAPERS, WRITING & PRINTING PAPERS, MG COLOUR PAPERS, NEWS PRINT PAPERS, STATIONERY PAPERS, PULP GRADE PAPERS

## Regd. Office/Works:

**Village Bhainsa, 22Km, Meerut Mawana Road, Mawana, Meerut- 250401**

**Phone No.: 01233-271137**

**Email: sales@sangalpapers.com**

**Website: www.sangalpapers.com**

# घर में सोलर प्लांट इंस्टाल कराने की प्रक्रिया होगी आसान, अब बैंक खाते में सीधे मिलेगी सब्सिडी, जल्द ही नेशनल पोर्टल होगा तैयार

सोलर बिजली के प्रोत्साहन के लिए सरकार छत पर सोलर पैनल लगाने की प्रक्रिया को बिल्कुल आसान बनाने जा रही है। नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा (एमएनआरई) मंत्रालय इस काम के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल तैयार कर रहा है जिसके माध्यम से आवासीय घरों की छत पर सोलर पैनल पर लगवाने के लिए सीधे उपभोक्ता के खाते में सब्सिडी दी जाएगी। उपभोक्ता को पहले ही बता दिया जाएगा कि उन्हें कितनी राशि सब्सिडी के रूप में दी जाएगी।

अभी बिजली वितरण कंपनियां (डिस्काम) के माध्यम से इस सब्सिडी का लाभ आवासीय उपभोक्ताओं को मिलता है। अब उपभोक्ता अपनी पसंद के किसी भी वेंडर से छतों पर सोलर पैनल लगवा सकेंगे। एमएनआरई मंत्रालय के मुताबिक अगले डेढ़ से दो महीनों में एक ऐसा नेशनल पोर्टल तैयार कर दिया जाएगा जिस पर सोलर पैनल लगवाने के इच्छुक उपभोक्ता आवेदन भी कर सकेंगे और उस पोर्टल पर ही उनके आवेदन की मंजूरी व अन्य सभी प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी।

नेशनल पोर्टल की तरह ही एक पोर्टल डिस्काम के लिए बनाया जाएगा और दोनों पोर्टल एक दूसरे से जुड़े होंगे। सोलर पैनल लगाने के लिए आवेदन करने के दौरान आवेदक को तमाम आवश्यक जानकारी के साथ अपने बैंक खाते का भी विस्तृत ब्योरा देना होगा। आवेदन करने के बाद ही आवेदक को पूरी प्रक्रिया बताई जाएगी और आवेदन के हिसाब के यह भी बता दिया जाएगा कि उसे सब्सिडी के रूप में कितनी राशि दी जाएगी। फिर उस आवेदन को संबंधित डिस्काम को भेज दिया जाएगा और डिस्काम 15 दिनों के भीतर टेक्नीकल रिपोर्ट देगी । डिस्काम के पास आवेदन भेजते ही डिस्काम पोर्टल पर वह दिखने लगेगा कि उस आवेदन पर क्या कार्रवाई हो रही है। टेक्नीकल रिपोर्ट तैयार होने के बाद उपभोक्ता अपनी पसंद के वेंडर से सोलर पैनल लगवा सकेगा। एक तय समय में उपभोक्ता को यह काम पूरा करना होगा।

छत पर सोलर पैनल लगवाने के बाद उपभोक्ता को नेट मीटरिंग के लिए अप्लाई करना होगा और डिस्काम या तो उपभोक्ता के यहां नेट मीटरिंग लगाएगा या उपभोक्ता को खरीदने के लिए कह सकता है जिसकी जांच डिस्काम करेगी। इस संबंध में डिस्काम का फैसला पोर्टल पर डाला जाएगा। नेट मीटरिंग के लग जाने के बाद डिस्काम की तरफ से नेशनल पोर्टल पर सोलर पैनल की स्थापना की रिपोर्ट दी जाएगी। इस रिपोर्ट के बाद डिस्काम की तरफ से उपभोक्ता के खाते में सब्सिडी राशि भेज दी जाएगी। एमएनआरई ने कहा है कि नेशनल पोर्टल के संचालन में आने तक आवासीय छतों पर सोलर पैनल लगाने की पुरानी व्यवस्था जारी रहेगी।

# एनसीएस से जुड़ेंगे उद्यम व ई श्रम पोर्टल

बजट में घोषणा के अनुरूप श्रम व रोजगार मंत्रालय उद्यम व ई-श्रम पोर्टल को नेशनल कैरियर सर्विस से जोड़ने की तैयारी कर रहा है। उद्यम एमएसएमई तथा ई-श्रम असंगठित श्रमिकों के पंजीयन से जुड़े जॉब पोर्टल है। मंत्रालय एनसीएस परियोजना को एक मिशन मोड़ परियोजना के तौर पर लागू कर रहा है ताकि रोजगार से संबंधित विभिन्न सेवाएं जैसे जॉब मैचिंग, कैरियर काउंसलिंग, वोकेशनल गाइडेंस, कौशल विकास संबंधी जानकारी प्रदान करने वाले पाठ्यक्रम, अप्रैंटिसशिप व इंटर्नशिप की जानकारी मिल सके।

केंद्रीय श्रम व रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जी ने त्रैमासिक रोजगार सर्वे (क्यूईएस) तथा ईपीएफओ पेरोल डाटा का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में रोजगार के अवसर बढ़ रहे है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार संगठित एवं असंगठित दोनों ही क्षेत्रो में कामगारों एवं श्रमिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। एनसीएस के तहत सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध है जिसे 2015 में शुरू किया गया था। इस पोर्टल पर उपलब्ध सेवाएं सभी हितधारकों के लिए मुफ्त है।

# भारत-यूएई में हुआ व्यापार समझौता

कोरोना महामारी के ग्लोबल संकट के बावजूद भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) ने मात्र 88 दिनों में 18 फरवरी को ऐतिहासिक पूर्ण मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) पूरा कर लिया। इस एफटीए को कांप्रिहेंसिव इकोनमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट (सीपा) का नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का यह पहला पूर्ण एफटीए है। इसके इस वर्ष मई से लागू होने की उम्मीद की जा रही है। दोनों देशों ने अगले पांच वर्षों में द्विपक्षीय वस्तु व्यापार 100 अरब डालर (वर्तमान भाव पर 7.5 लाख करोड़ रुपये) तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। वित्त वर्ष 2020-21 में दोनों देशों ने 43.3 अरब डालर (3.24 लाख करोड़ रुपये) का व्यापार किया। यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा कारोबारी सहयोगी है, इसलिए इस व्यापारिक समझौते को काफी अहम माना जा रहा है।

समझौते के बाद वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि सीपा के तहत रूल्स ऑफ ओरिजिन का पूरा ख्याल रखा गया है ताकि उसका गलत उपयोग नहीं हो सके। यह काफी संतुलित समझौता है। इससे हम एक दूसरे के पूरक बन रहे हैं। मई के पहले सप्ताह में दोनों देशों के बीच कई व्यापारिक सीरीज पर बातचीत होनी है और उस दौरान इसे लागू किया जा सकता है।

भारत गल्फ कंट्रीज काउंसिल, आस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन, कनाडा व इजरायल, जैसे देशों के साथ भी व्यापारिक समझौते को लेकर बातचीत कर रहा है। वहीं, यूएई के आर्थिक मामलों के मंत्री अबदुल्ला बिन तौक

अलमरी ने कहा कि दोनों देशों के बीच नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। पिछले 50 वर्षो से दोनों देशों के बीच आपसी रिश्ता रहा है। इस बार डिजिटल ट्रेड को लेकर भी समझौता किया गया है।

## भारत के कई सेक्टर को मिलेगा बड़ा फायदा:

इस समझौते से जेम्स व ज्वैलरी, टेक्सटाइल, लेदर, फुटवियर, स्पोर्ट्स गुड्स, प्लास्टिक, फर्नीचर, कृषि उत्पाद फार्मा, मेडिकल उपकरण आटोमोबाइल्स व इंजीनियरिंग गुड्स, फल-सब्जी, चाय, काफी जैसे कृषि उत्पादों के निर्यात में भी भारी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि इन सभी का निर्यात अब यूएई को लगभग शून्य शुल्क पर होगा। ये सभी रोजगारपरक सेक्टर हैं और इनका निर्यात बढ़ने से भारत में रोजगार के नए अवसर निकलेंगे। भारतीय वस्तुओं के लिए अफ्रीका, खाड़ी देश व कुछ यूरोपीय देश का बाजार भी भारत के लिए खुल जाएगा जहां भारत का निर्यात अभी काफी कम है। यूएई के बाजार में अब किसी भी फार्मा उत्पाद को आवेदन करने के 90 दिनों के बाद जीरो ड्यूटी पर बिक्री की इजाजत मिल जाएगी। सेवा सेक्टर में आइटी, टूरिज्म को काफी लाभ मिलेगा।

## यूएई को यह मिलेगा

भारत ने यूएई को भी कई वस्तुओं के निर्यात में ड्यूटी में रियायत दी है। इनमें पेट्रोकेमिकल्स, मेटल जैसे सेक्टर प्रमुख है। इसके अलावा सेवा से जुड़े कई सेक्टर में यूएई को रियायत दी गई है। सरकार की तरफ से रियायत पाने वाली वस्तुओं की सूची जारी नहीं की गई है।

## समझौते की प्रमुख बाते:

- पांच वर्ष में 7.5 लाख करोड़ रुपये मूल्य का द्विपक्षीय वस्तु व्यापार का लक्ष्य
- रूल्स आफ ओरिजिन का नियम रहेगा, मई से प्रभाव में आने की संभावना
- भारत से निर्यात होने वाले अधिकतर वस्तुओं को शुल्क में छूट
- फार्मा उत्पाद को मात्र 90 दिनों में यूएई बाजार की मिलेगी पहुंच
- सेवा सेक्टर और डिजिटल ट्रेड को लेकर भी दोनों देशों में समझौता
-


**ANAMIKA UDYOG**

MANUFACTURES OF:

SURGICALS DRESSINGS

Address: 61/1, Madhuban Colony, Baghpat Road, Meerut-250002

E-mail: anamikaudyog@hotmail.com

Mobile No.: 9837031861, 9927025661

# हाइड्रोजन नीति से कार्बन मुक्त ईंधन का निर्यात केंद्र बनेगा भारत, देशभर में अक्षय ऊर्जा की ढुलाई मुफ्त होगी

जीवाश्म ईंधन पर देश की निर्भरता घटाने और कार्बन मुक्त ईंधन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले नवीकरणीय ऊर्जा की पूरी देश में ढुलाई मुफ्त कर दी। केंद्र सरकार ने बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय हाइड्रोजन नीति के पहले हिस्से को देश के सामने रखते हुए यह घोषणा की है।

इस फैसले के जरिये सरकार देश को एक निर्यात हब बनाना चाहती है। राष्ट्रीय हाइड्रोजन नीति पेश करते हुए केंद्रीय ऊर्जा एवं नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने कहा कि इसके जरिये सरकार का लक्ष्य 2030 तक 50  लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना है।

हाइड्रोजन की जरूरत इस्पात संयंत्रों और तेल शोधन कारखानों को चलाने में पड़ती है। वर्तमान में हाइड्रोजन का उत्पादन जीवाश्म ईंधन जैसे कि प्राकृतिक गैस या नेफ्था के जरिये किया जाता है। यूं तो हाइड्रोजन खुद कार्बन मुक्त होता है लेकिन जीवाश्म ईंधन के कारण कार्बन उत्सर्जन होता है।

ग्रीन हाइड्रोजन जिसे क्लीन हाइड्रोजन भी कहते हैं, का उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे कि सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा से बनी बिजली से किया जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस की प्रक्रिया में पानी को दो हाइड्रोजन एटमों और एक ऑक्सीजन एटम में तोड़ा जाता है और दोनों गैसों का अलग भंडारण किया जाता है। ऑक्सीजन को अस्पतालों और उद्योगों को जरूरत के अनुसार बेच दिया जाता है। इसी प्रक्रिया के जरिये ग्रीन अमोनिया का उत्पादन भी होता है।

## नीति के दूसरे चरण में पौधों से हाइड्रोजन-अमोनिया उत्पादन:

मंत्री आर के सिंह ने कहा, हाइड्रोजन और अमोनिया भविष्य में जीवाश्म ईंधन की जगह लेने वाले हैं। नीति के दूसरे चरण में पौधों से ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से मंजूरी दी जाएगी।

## देश में कहीं भी बिजली उत्पादन क्षमता स्थापित करने की छूट:

नीति के तहत कंपनियों को पूरे देश में कहीं भी स्वयं या डेवेलपर के जरिये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के जरिये बिजली उत्पादन क्षमता स्थापित करने की छूट दी गई है। उन्हें बिजली की अदला-बदली का अधिकार भी होगा। इस बिजली को ट्रांसमिशन ग्रिड के ओपन एक्सेस के जरिये मुफ्त में हाइड्रोजन उत्पादन के किसी भी संयंत्र में भेजा जा सकेगा। साथ ही हाइड्रोजन/अमोनिया उत्पादक इस्तेमाल के बाद बची बिजली को 30 दिन तक वितरक कंपनी के पास बचाकर रख पाएंग और जरूरत पड़ने पर उससे ले पाएंगे।

## 25 साल तक ले पाएंगे नीति का फायदा

नीति के तहत 30 जून 2025 से पहले इस परियोजना के तहत ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया का उत्पादन संयंत्र शुरू करने वाली कंपनी अगले 25 साल तक बिजली की मुफ्त ढुलाई तथा अन्य फायदे ले पाएगी।

## बंदरगाहों के पास बंकर बनाने की छूट

सिंह ने कहा, ऐसी कंपनियों और बिजली उत्पादकों को ग्रिड से कनेक्टिविटी में प्राथमिकता दी जाएगी ताकि प्रक्रियागत विलंब का सामना न करना पड़े। साथ ही हाइड्रोजन और अमोनिया उत्पादकों को बंदरगाहों के पास बंकर बनाने की अनुमति दी जाएगी जिससे उन्हें निर्यात और परिवहन में आसानी हो।

## कच्चे तेल का आयात घटेगा

सिंह ने कहा, इस नीति से देश के आम लोगों को स्वच्छ ईंधन मिलेगा। ये जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटाएगा और कच्चे तेल का आयात कम होगा। इसका एक अन्य लक्ष्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के निर्यात हब में बदलना है। भारत अभी अपने तेल जरूरत का 85 फीसदी और गैस जरूरत का 53 फीसदी विदेशों से आयात करता है।


PASWARA GROUP

PASWARA PAPERS LIMITED

AN ISO 9001: 2008 Certified Company

**Paper Product**

**High RCT Paper, High Ply Bond Paper, High BF Kraft Paper, White Craft Liner Paper**

**Regd. Office:**

Paswara House, Baghpat Road, Meerut (U.P.) India
Tel.: +91-121-2511692, Fax: +91-121-4056535
Email: paswara@ndf.vsnl.net.in

**Factory:**

N.H.-58, Paswara Border, Mohiuddinpur, Delhi Road, Meerut (U.P.) India
Tel.: +91-121-2410502/503 Fax: +91-121-2410505
Email: info@paswara.com

# पासपोर्ट पर होगी इलेक्ट्रानिक चिप, ब्लाकचेन और भी बहुत कुछ, आइआइटी ने स्कोस्टा तकनीक पर किया है तैयार

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) सरकार की महत्वाकांक्षी ई-पासपोर्ट सेवा में भी सहयोग कर रहा है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआइसी) के साथ मिलकर आइआइटी के विज्ञानियों ने ई-पासपोर्ट जारी करने के लिए एक बुनियादी ढांचा तैयार किया है। खास बात यह है कि ई-पासपोर्ट के लिए जरूरी साफ्टवेयर व स्कोस्टा-सीएल तकनीक भी आइआइटी ने विकसित की थी।

आइआइटी भिलाई के निदेशक प्रो. रजत मूना पूर्व में आइआइटी कानपुर में प्रोफेसर थे। उन्होंने क्रेडिट कार्ड के आकार के इलेक्ट्रानिक चिप पर आधारित प्लास्टिक स्मार्ट कार्ड की तकनीकी विकसित की थी। इस चिप में मेमोरी के साथ प्रोसेसर होता है, जो टेंपरप्रूफ आपरेड्क्षटग सिस्टम चलाता है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि चिप सूचनाओं को संग्रहित भी कर सकती है। चिप के अंदर के डाटा को आपरेटिंग सिस्टम में एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकाल के माध्यम से एक्सेस किया जाता है। कार्ड की मेमोरी चार केबी से 150 केबी तक होती है। स्मार्ट कार्ड के अंदर का प्रोसेसर आठ या 32 बिट का प्रोसेसर होता है। इसके साथ ही यह क्रिप्टोग्राफिक प्रोसेसर होता है यानी कई फाइलों का सिस्टम तैयार होता है। वर्तमान में स्मार्टकार्ड का प्रयोग स्वास्थ्य, बैंकिंग, टिकट प्रणाली आदि में हो रहा है।

## क्या है स्कोस्टा:

परिवहन अनुप्रयोगों के लिए वर्ष 2002 में आइआइटी कानपुर ने स्मार्ट कार्ड आपरेटिंग सिस्टम फार ट्रांसपोर्ट एप्लीकेशन (स्कोस्टा) को विकसित किया था। इसी को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में संपर्क स्मार्ट कार्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस तकनीक से ड्राइड्क्षवग लाइसेंस, पंजीकरण कार्ड (डीएल व आरसी), विभिन्न आइडी कार्ड, पीडीएस कार्ड, आरएसबीवाइ कार्ड आदि जारी होते हैं। यह तकनीक आइएसओ मानकों पर आधारित है और इसीलिए किसी भी अंतरराष्ट्रीय आवश्यकताओं का अनुपालन करती है। इसके बाद वर्ष 2017 में स्कोस्टा-सीएल तकनीक बनाई गई। यहां सीएल का मतलब कांटैक्ट लेस (संपर्क रहित) तकनीक से है। अब स्कोस्टा सीएल तकनीक से ही ई-पासपोर्ट जारी होंगे। यह ई-पासपोर्ट दस्तावेज को कंप्यूटर आधारित मशीन के लिए पठनीय बनाएगा, जिससे पासपोर्ट न केवल छेड़छाड़ रहित होगा बल्कि हवाई अड्डों पर त्वरित प्रसंस्करण को भी सक्षम बनाएगा। इस तकनीक के तहत बायोमीट्रिक फीचर के साथ ई-पासपोर्ट के पिछले कवर पर एक आइसी चिप लगाई जाएगी।

## क्या है ब्लॉकचेन तकनीक:

ब्लॉकचेन एक तकनीक है। हम इस तकनीक के जरिए करेंसी ही नहीं बल्कि किसी भी चीज को डिजिटल फॉरमेट में बदलकर स्टोर कर सकते है। ये प्लेटफॉर्म लेजर की तरह है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये एक तरह का

एक्सचेंज प्रोसेस है, जो डेटा ब्लॉक पर काम करता है। इसमें हर एक ब्लॉक एक-दूसरे से कनेक्ट होते हैं और इन्हें हैक नहीं किया जा सकता है। इस तकनीक का उद्देश्य डॉक्यूमेंट्स को डिजिटली सुरक्षित रखना है।

**XXXXXXXXXXX**